



एम्स/राजकोट/प्रशा./2024-25/6501

दिनांक- 16/11/2024

कार्यालय ज्ञापन सं. 77/2024

विषय: 01.07.2024 से प्रभावी 53% संशोधित दरों पर वृद्धि महंगाई भत्ता प्रदान करने से संबंधित-

संदर्भ: 1. वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग, भारत सरकार द्वारा दिनांक 21.10.2024 को जारी पत्र संख्या 1/5/2024-ई. II (बी)।

2. 1 जनवरी 2024 से प्रभावी 25% संशोधित महंगाई भत्ता और अन्य संबंधित भत्ते प्रदान करने के विषय पर एम्स राजकोट का दिनांक 28/03/2024 का कार्यालय ज्ञापन संख्या 167/2024।

1. उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार, एम्स राजकोट के सभी कर्मचारियों को **1 जुलाई 2024** से मूल वेतन के **53% की दर** से बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता मिलेगा।
2. बकाया राशि का भुगतान समय से कर दिया जाएगा।
3. इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



डॉ. कुलदीप जी बी

स्थानापत्र उप निदेशक (प्रशासन)

कार्यवाहक उप निदेशक (प्रशा.)
Offg Deputy Director (Admin.)
एम्स राजकोट - 360 001, गुजरात.
AIIMS Rajkot - 360 001, Gujarat.

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक, एम्स - राजकोट को सूचनार्थ
2. सभी विभागाध्यक्ष/प्रभारी, एम्स - राजकोट
3. डीएमएस (ओपीडी/आईपीडी), एम्स - राजकोट
4. प्रशासनिक/लेखा अधिकारी, एम्स राजकोट
6. आईटी सेल वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

नोट: किसी भी विसंगति की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।